न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 15/2022 **GCMS 2022/25**

वादीगण

1. श्रवण कुमार पुत्र भागूराम जाट निवासी लाम्बी डेरी, इण्डाली तहसील नावां जिला नागौर
2. बाबुलाल बुगालिया पुत्र मोहनलाल बुगालिया जाट निवासी कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मैना पुत्री भंवरलाल
2. सुंडाराम पुत्र भंवरलाल
3. सुखाराम पुत्र भंवरलाल
4. घीसीदेवी पत्नी भंवरलाल
5. हेमाराम पुत्र किशनाराम
6. मोहनीदेवी पत्नी किशनाराम (फौत) *struck off*
7. भागीरथराम पुत्र किशनाराम
8. दुलाराम पुत्र किशनाराम
9. अमराराम पुत्र किशनाराम
10. मोहनराम पुत्र बालु
11. रूपाराम पुत्र बालु
12. कालुराम पुत्र लिछमण
13. रामूराम पुत्र लिछमण जाति कुमावत निवासीगण भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी
14. गणपतलाल पुत्र सुवाराम
15. सुवादेवी पत्नी राजूराम
16. वन्दना पत्नी नरेश कुमार अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी
17. देवीलाल शर्मा पुत्र किस्तुरचन्द ब्राहम्ण निवासी जूसरी तहसील मकराना
18. हेमन्त शर्मा पुत्र कृष्णचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कुचामनसिटी
19. भंवरलाल पुत्र हनमान जाति कुम्हार निवासी भंवरपुरा
20. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री ऋषभ शर्मा एवं बोदूराम अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक 14-12-2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र [illegible] तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमाई [illegible] वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 07.06.2022 को प्राथमिक डिक्री [illegible] तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा [illegible] पत्रांक भू0अ0/2022/2339 दिंनाक 21.09.2022 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 20.09.2022 को तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मौका फर्द बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम भंवरपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा के खसरा नम्बर 554 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 599/551 रकबा 1.23 हैक्टर के मौके पर भू.अ.निरीक्षक कुचामनसिटी व पटवारी हल्का उगरपुरा के साथ पहुंचे, मौके पर पक्षकार उपस्थित मिले, राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 554 रकबा 2.26 हैक्टर में वादीगण (प्रत्येक) का हिस्सा 47/452 व 47/452 तथा खसरा नम्बर 599/551 रकबा 1.23 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक का 1/8 व 1/8 हिस्सा अन्य खातेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है, नजरी नक्शा अनुसार वादीगण बाबूलाल व श्रवण कुमार का कब्जा होना बताया, नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 599/551 रकबा 1.23 हैक्टर में से वादीगण का रकबा 0.3075 हैक्टर (बिन्दू सं. B मार्क अनुसार) पर खसरा नम्बर 554 रकबा 2.28 हैक्टर में से वादीगण का रकबा 0.47 हैक्टर (बिन्दू सं. C मार्क अनुसार) पर कब्जा है तथा कब्जानुसार व राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार ही वादीगण जोत विभाजन करवाना चाहते है, वादीगण व प्रतिवादगण खसरा नम्बर 554 व 599/551 के पश्चिम में स्थित सड़क से आवागमन करते है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम भंवरपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा के खसरा नम्बर 599/551 रकबा 1.23 हैक्टर में से वादीगण का रकबा 0.3075 हैक्टर (बिन्दू सं. B मार्क अनुसार) पर, खसरा नम्बर 554 रकबा 2.28 हैक्टर में से वादीगण का रकबा 0.47 हैक्टर (बिन्दू सं. C मार्क अनुसार) में वादीगण को तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका फर्द बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव दिनॉक 20.09.2022 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 14-12-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 15/2022 **GCMS 2022/25**

वादीगण

1. श्रवण कुमार पुत्र भागूराम जाट निवासी लाम्बी डेरी, इण्डाली तहसील नावां जिला नागौर
2. बाबुलाल बुगालिया पुत्र मोहनलाल बुगालिया जाट निवासी कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मैना पुत्री भंवरलाल
2. सुंडाराम पुत्र भंवरलाल
3. सुखाराम पुत्र भंवरलाल
4. घीसीदेवी पत्नी भंवरलाल
5. हेमाराम पुत्र किशनाराम
6. मोहनीदेवी पत्नी किशनाराम (फौत) *struck off*
7. भागीरथराम पुत्र किशनाराम
8. दुलाराम पुत्र किशनाराम
9. अमराराम पुत्र किशनाराम
10. मोहनराम पुत्र बालु
11. रूपाराम पुत्र बालु
12. कालुराम पुत्र लिछमण
13. रामूराम पुत्र लिछमण जाति कुमावत निवासीगण भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी
14. गणपतलाल पुत्र सुवाराम
15. सुवादेवी पत्नी राजूराम
16. वन्दना पत्नी नरेश कुमार अग्रवाल निवासी कुचामनसिटी
17. देवीलाल शर्मा पुत्र किस्तुरचन्द ब्राहम्ण निवासी जूसरी तहसील मकराना
18. हेमन्त शर्मा पुत्र कृष्णचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कुचामनसिटी
19. भंवरलाल पुत्र हनमान जाति कुम्हार निवासी भंवरपुरा
20. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री ऋषभ शर्मा एवं बोदूराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम भंवरपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा के खसरा नम्बर 599/551 रकबा 1.23 हैक्टर में से वादीगण का रकबा 0.3075 हैक्टर (बिन्दू सं. B मार्क अनुसार) पर, खसरा नम्बर 554 रकबा 2.28 हैक्टर में से वादीगण का रकबा 0.47 हैक्टर (बिन्दू सं. C मार्क अनुसार) में वादीगण को तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका फर्द बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव दिनॉक 20.09.2022 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार [illegible] किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम [illegible] का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर [illegible] पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम [illegible] तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:56 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर, अदालत के आज दिनांक 14.......माह 12.................. सन् 2022................ को जारी की गई।

दस्तखत.......

ओहदा........................(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालातनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/राजस्व/2022/ 328, दिनॉकः– 15/12/2022

प्रेषित :– तहसीलदार

कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 15/2022 **GCMS 2022/25** श्रवण कुमार बनाम मैना वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 15/2022 **GCMS 2022/25** श्रवण कुमार बनाम मैना वगैरह में पारित डिक्री आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2022 / 2339 दिनांक – 21.09.2022

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद सं. 15 / 2022 श्रवण कुमार बनाम मैना वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक राजस्व / 2022 / 137 दिनांक 14.06.2022 तथा 261 दिनांक 26.08.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 15 / 2022 श्रवण कुमार बनाम मैना वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. कुचामनसिटी व पटवारी हल्का उगरपुरा के द्वारा तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:56 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द बंटवारा स्कीम

आज दिनांक २०/०९/2022 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के राजस्व प्रकरण वाद सं. 15/2022 श्रवण कुमार बनाम मैना वगै. में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश व माननीय न्यायालय के पत्र क्रमांक /कोर्ट/ 2022/ २61 दिनांक २6.08.2022 की पालना बाबत बंटवारा स्कीम तैयार करने ~~बाबत~~ हेतु ग्राम भंवरपुरा प.म. उगरपुरा के ख.नं. 554 रकबा २.२6 है. व ख.नं. 599/551 रकबा 1.२3 है. किस्म चाही 1 के मौके पर भू. अ. निरीक्षक कुचामन सिटी व पटवारी हल्का उगरपुरा के साथ पहुँचा। मौके पर पक्षकार उपस्थित मिले। राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम भंवरपुरा के ख.नं. 554 रकबा २.२6 है. मे वादीगण (प्रत्येक) का हिस्सा $\frac{57}{452}$ व $\frac{57}{452}$ तथा ख.नं. $\frac{599}{551}$ रकबा 1.२3 है. मे वादीगण (प्रत्येक) का $\frac{1}{8}$ व $\frac{1}{8}$ हिस्सा अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख.सं. 554 पर माननीय न्याया. उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी का स्थगन आदेश (रिकॉर्ड व मौके) प्रभावी है। मौके पर उपस्थित पक्षकारान ने निम्न नजरी नक्शा अनुसार वादीगण बाबूलाल व श्रवण कुमार का कब्जा होना बताया।

LR
20-9.22

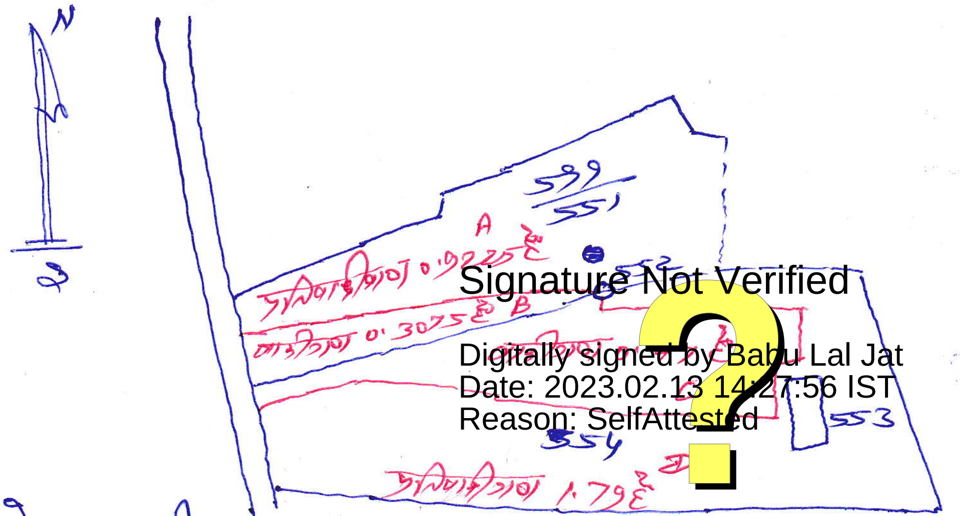

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त नजरी नक्शानुसार ख.नं. $\frac{599}{551}$ रकबा 1.२3 है. में से वादीगण का रकबा 0.3075 है. (बिन्दु सं. B मार्क अनुसार) पर ख.नं. 554 रकबा २.२8 है. में से वादीगण का रकबा 0.57 है. (बिन्दु सं. C मार्क अनुसार) पर कब्जा है तथा कब्जानुसार व राजस्व रिकॉर्ड में

— लगातार —

— लगातार — 2

अंकित हिस्से अनुसार ही वादीगण जोत विभाजन करवाना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादीगण ख. नं. 554 व 599/551 के पश्चिम में स्थित सडक से आवागमन करते है। मौके पर उपस्थित पक्षकारान् व पडोसियो के रूबरू बंटवारा, स्कीम मुताबिक न्यायालय आदेश तैयार कर पढकर सुनाई गई। उपस्थित ने पढकर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये।

[signature] प. उगरपुरा

1. बाबूलाल S/o श्री मोहनलाल जाट
मो. नं. 9413037875

2. गणपतलाल S/o .. मुखराम कुमावत
मो. नं. 9828124667

[signature]

[signature]

नाथुराम
(नाथूराम / डुलाराम कुमावत)
मो. नं. 9783268737

[signature]
20.9.22
Tdr, KCt

[signature]
20.9.2022
T.R.K. सिंह

डूंगराराम
(डूंगाराम / पन्नाराम कुमावत)
मो. नं. 9413111229

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:56 IST
Reason: SelfAttested